

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या १७४७ FP/UK/ROAD/21509/2016 देहरादून:दिनांक: २७ नवम्बर ,2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद बागेश्वर में कन्धार— पथरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक  
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.76 हेतु 0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को  
प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/21509/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। जिसकी हार्ड  
कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर  
सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

*VN*  
(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या FP/UK/ROAD/21509/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय,(उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद—बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० बागेश्वर।

*VN*  
(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

#### भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद बागेश्वर में कन्धार— पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.76 है। वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन | FP/UK/ROAD/21509/2016

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर में 1.989 हेतु आरक्षित वनभूमि एवं 0.771 हेतु पंचायत भूमि अर्थात कुल 2.7 हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः— जनपद बागेश्वर में कन्धार— पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: ( विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : २७ / 11/2017

स्थान : देहरादून